



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,  
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, बागेश्वर।

फोन/फैक्स न0- 05963-221761

E-Mail I.D-[eepmgsybagehwar@rediffmail.com](mailto:eepmgsybagehwar@rediffmail.com)

पत्रांक:- 147/

दिनांक 24/01/2026

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एव नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,  
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय:-

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गरुड़-बिनखोली से कोठों तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.54 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No-FP/UK/ROAD/10272/2015)।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गरुड़-बिनखोली से कोठों तक मोटर मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव से सम्बन्धित आख्या पूर्व में पत्रांक-2176/12-1-2, बागेश्वर, दिनांक 19.12.2024 के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर द्वारा प्रेषित कर दी गयी थी। वर्तमान में पुनः उक्त आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

अतः आख्या उपरोक्तानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता,  
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड,  
बागेश्वर।

पत्रांक:-

तददिनांक

प्रतिलिपि,

प्रभागीय वनाधिकारी, वनप्रभाग बागेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,

पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड,  
बागेश्वर।

## प्रमाण पत्र।

विषय:- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गरूड-बिनखोली से कोठों तक मोटर मार्ग के निर्माण में हेतु 0.54 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गरूड-बिनखोली से कोठों तक मोटर मार्ग के निर्माण में हेतु 0.54 है० वन भूमि के समरेखण में सड़क निर्माण कार्य उसी क्षेत्र में किया गया है, जहाँ पर वन विभाग द्वारा सीमांकन और वृक्ष चिन्हीकरण किया गया है। मार्ग के०एम०एल० से तुलना करने पर कतिपय स्थानों पर समरेखन में परिवर्तन प्रतीत होता है यद्यपि प्रस्तावक विभाग के अनुसार समरेखन में यह परिवर्तन तकनीकी दक्षता की कमी के कारण त्रुटिपूर्ण के०एम०एल० अपलोड किये जाने से है। अतः मार्ग के निर्माण से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

  
अधिसाक्षी अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई० सि० खण्ड  
बागेश्वर

  
प्रभागीय वनाधिकारी  
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर